भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4126
उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

एनसीटीई द्वारा विश्वविद्यालयों को पूर्वव्यापी मान्यता

†4126. **श्री बिप्लब कुमार देब**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा पाठ्यक्रम को दी गई पूर्वव्यापी मान्यता से लाभान्वित संस्थानों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या त्रिपुरा विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) के शैक्षणिक सत्र 2012-14 और 2013-15 के लिए दो वर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.) पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुमोदन के तहत प्रारंभ किए जाने के बावजूद एनसीटीई द्वारा मान्यता नहीं दी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त शैक्षणिक सत्रों के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय के एम.पी.एड. पाठ्यक्रम को पूर्वव्यापी मान्यता देने का निर्णय अभी भी लंबित है;
(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) उक्त शैक्षणिक सत्रों के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय के एम.पी.एड. पाठ्यक्रम को मान्यता देने के संबंध में उचित निर्देश जारी करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 14 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 12 मई, 2020 और दिनांक 28 नवंबर, 2023 की अधिसूचनाओं के माध्यम से, शैक्षणिक सत्र वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) के दो वर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.) पाठ्यक्रम सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित इकतीस (31) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान की। दिनांक 12 मई, 2020 और दिनांक 28 नवंबर, 2023 की राजपत्र अधिसूचनाएँ इस लिंक https://www.education.gov.in/parl_ques पर अनुलग्नक में दी गई हैं।

***